



राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(23)वित्त/राजस्व/1994लूज

जयपुर दिनांक 9 FEB 2021

—:आज्ञा:—

वर्ष 2021-22 में राज्य बीमा एवं प्राक्धायी निधि सेवा के निम्नांकित अधिकारियों के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को, अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप, उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है—


क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पद	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्री रामसिंह चौधरी, सहायक निदेशक	10.04.1961	30.04.2021
2	श्री दल बहादुर सिंह भण्डारी, अतिरिक्त निदेशक	22.06.1961	30.06.2021
3	श्री बलराम स्वर्णकार, अतिरिक्त निदेशक	01.07.1961	30.06.2021
4	श्री दिनेश कारोठ, उप निदेशक	12.06.1961	30.06.2021
5	श्री बदराम कुम्हार, सहायक निदेशक	12.06.1961	30.06.2021
6	श्री श्याम प्रकाश पुरोहित, सहायक निदेशक	01.07.1961	30.06.2021
7	श्री केदार प्रसाद मीणा, सहायक निदेशक	01.07.1961	30.06.2021
8	श्री विद्याधर व्यास, सहायक निदेशक	26.06.1961	30.06.2021
9	श्री सोहन लाल, सहायक निदेशक	03.09.1961	30.09.2021
10	श्री अशोक कुमार जोशी, सहायक निदेशक	11.10.1961	31.10.2021
11	श्री मोतीलाल आडोत, सहायक निदेशक	30.11.1961	30.11.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक—


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचारार्थीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचारार्थीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कम संख्या 01 से 11 तक अंकित अधिकारियों के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचारार्थीन/लम्बित नहीं है।

09/02/2021

कृ.पू.उ




कृपया सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटों की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,

10/01/2021
(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 1(ए)123/पार्ट-6/संस्था/बीमा/2020/लूज/12083 दिनांक 21.01.2021 के क्रम में।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
5. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली।
6. रक्षित पत्रावली


10/01/2021
संयुक्त शासन सचिव